न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 90/15 **निर्णय दिनांकः—27.09.2018**

1. बलराज पुत्र रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल निवासी बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. तन्नानाथ
2. भादरनाथ
3. भंवरनाथ
4. भगवाननाथ
5. जगदीशनाथ
6. गंगा
7. विमला
8. चन्द्रकला

पिसरान करणनाथ जाति सिद्व निवासीगण बेनीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

9. बालीदेवी पत्नी करनणनाथ जाति सिद्व निवासीगण बेनीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।
11. उपपंजीयक, श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 04—06—2015
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ओम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 04—06—2015 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा बेनीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 542/426 तादादी 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 430 तादादी 0.40 हेक्टर कुल तादादी 1.27 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि अपीलांटान की खातेदारी भूमि है। आराजी जैर अपील अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पति करणनाथ से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15—12—1997 क्रय की गई थी तथा तभी से वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त रकबा अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा पूर्व में वादगत् भूमि के बाबत् एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। केवल मात्र यह अंकित करते हुए कि वादी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। बहस सुनी गई। आदेश दिनांक

01—01—2012 को ताफैसला वाद पुष्ट किया जाता है। जबकि प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष दोनो पक्षों की सुनवाई/बहस हेतु निर्धारित चल रहा था तथा प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 22—06—2015 नियत थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 04—06—2015 को अपीलांट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मात्र रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 01—01—2012 को तीन वर्ष उपरान्त ताफैसला वाद पुष्ट किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत् किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी प्रभावित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश कानून की नजर में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स के पिता करणनाथ की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 496/333 तादादी 5 बीघा व खसरा नम्बर 498/333 तादादी 25 बीघा 10 बिस्वा वाके रोही बेनीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित है। खसरा नम्बर 496/333 नेशनल हाईवे नम्बर 11 के उत्तरी तरफ तथा खसरा नम्बर 498/333 नेशनल हाईवे 11 के दक्षिणी तरफ स्थित है। रेस्पोडेन्ट्स के पिता करणनाथ ने जरिये आम मुखत्यारआम खेत खसरा नम्बर 496/333 तादादी 5 बीघा वाके रोही बेनीसर अपीलांट को विक्रय कर दी गई। उक्त भूमि नेशनल हाईवे 11 के उत्तरी तरफ स्थित था।

उन्होनें आगे बताया कि खेत खसरा नम्बर 496/333 के वर्तमान सेटलमेंट आज से करीब छः—सात वर्षो पहले हुआ था, तक खेतों के खसरा नम्बर बदल दिये गये तथा बीघा से हेक्टर में रकबा परिवर्तन

कर दिये गये। इस संबंध में मिलान क्षेत्रफल की नकलें भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिससे साबित होता है कि अपीलांट का खेत विक्रय पत्र व मौके अनुसार नेशनल हाईवे नम्बर 11 के उत्तरी तरफ स्थित है। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग ने अपीलांट से मिलीभगत करते हुए अपीलांट का खेत खसरा नक्शे में सड़क के दोनों और अर्थात उतरादी व दक्षिणी तरफ दर्शित कर दिया जो कि गैरकानूनी व गलत तथा रेस्पोडेन्ट के हितों पर विपरीत असर डाल रहा है। अपीलांट उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि सड़क के दक्षिणी तरफ भी जबरदस्ती काबिज होना चाहते है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 498/533 मीन पुराना व नया खसरा नम्बर 426 तादादी 1.39 हेक्टर जो सड़क नेशनल हाईवे नम्बर 11 के चिपते ही दक्षिणी तरफ है के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने व किसी प्रकार से विक्रय, रहन, बैय व हस्तान्तरण नहीं किये जाने की इस्तदुआ की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं होने की स्थिति को वादगत् भूमि के दौराने वाद विक्रय किये जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा बेनीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ खेत खसरा नम्बर 498/533 मीन पुराना व नया खसरा नम्बर 426 तादादी 1.39 हेक्टर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के वाद के निर्णय तक बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट खरीद की दिनांक से काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के हक व हकूकों के निर्धारण का प्रश्न उठाने से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी आवश्यक है कि क्या आदेश जैर अपील विधि के प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया आदेश है अथवा नहीं?

(4) इस संबंध में हमने अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील व अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01—10—2012 को प्रकरण में एकतरफा सुनवाई करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करते हुए अप्रार्थीगण को दिनांक 23—11—2012 को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

तत्पश्चात् पत्रावली करीब तीन वर्षो तक पक्षकारों की तलबी में चलने के उपरान्त अप्रार्थीगण की उपस्थिति के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस हेतु निर्धारित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 22—06—2015 नियत की गई थी।

अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 04—06—2015 को ही अर्थात पूर्व निर्धारित दिनांक से पूर्व ही पेशी में लिया जाकर कैम्प कोर्ट जोधासर में सुनवाई हेतु रखा गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त तारीख तब्दीली व पूर्व सुनवाई का कोई नोटिस अपीलांट/अप्रार्थीगण को जारी किया जाना पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से परिलक्षित नहीं होता है।

(5) अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04—06—2015 को पत्रावली पेशी में लेते हुए अभिलिखित किया गया कि पत्रावली कैम्प कोर्ट जोधासर में पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। बहस सुनी गई आदेश दिनांक 01—10—2013 को ताफैसला वाद पुष्ट किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूव अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। जबकि प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी निरन्तर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आ रहे थे। ऐसी स्थिति में बिना अपीलांट/प्रतिवादी की सहमति के प्रकरण को कैम्प कोर्ट जोधासर में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि अदालत मातहत द्वारा मात्र प्रकरण के निस्तारण मात्र/राजस्व कैम्प के आंकड़ों को बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से व रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को बेजा फायदा पहुॅचाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी न्याय कभी अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

(6) अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश जैर अपील अपने आप में अपरिक्वपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(7) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि पक्षकारों के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पक्षकारों को

सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों को ताक पर रखते हुए आदेश पारित किये जावे। न्याय कभी भी इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील अपने आप में अपूर्ण व न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पारित किया गया आदेश है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील काबिल निरस्त होने से निरस्त किया जाता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 04—06—2015 निस्त किया जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर